संख्या-153/2018/1852/26-3-2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 02 जुलाई 2018

विषय:- **जनता पालीटेक्निक जी0बी0एस0 एजूकेशन सोसायटी, यमुनानगर हरियाणा में वर्ष 11-12 में अवशेष 38 छात्रों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत जारी वित्तीय स्वीकृति से किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-811/स.क./शिक्षा-अ/04/22/2018-19, दिनाक-31.05.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-29.05.2018 के अनुपालन में जनता पालीटेक्निक जी0बी0एस0 एजूकेशन सोसायटी, यमुनानगर हरियाणा में वर्ष 2011-12 के अवशेष 38 छात्रों की अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देय शुल्क की कुल धनराशि रूपये-10,08,520/- (रूपये दस लाख आठ हजार पांच सौ बीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान संख्या-80 के योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि, जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कुल व्यय को बजट प्राविधान के अन्तर्गत रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/ 2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च 2018 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

पृ.संख्या-153/2018/1852(1)/26-3-2018 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।